राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सभी के लिए अधिगम

तबस्सुम जहाँ*
सना आफ़ताब**

यह शोध-पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 में वर्णित 'समतामूलक तथा समावेशी शिक्षा — सभी के लिए अधिगम' को प्रस्तुत करता है, जो सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा की उपयुक्तता को बताता है, विशेषकर वह समूह वर्ग जो किसी न किसी कारणवश शिक्षा को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्राप्त करने में किसी तरह की झिझक महसूस न हो। इस शोध-पत्र के द्वारा वंचित समूह वर्ग की आवश्यकता तथा उनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए प्रावधानों को प्रस्तुत किया गया है। 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' जिसमें 'उल्लास' नामक प्रवेशिका के माध्यम से प्रौढ़ वर्ग की बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर बल देते हुए जीवन संबंधी महत्वपूर्ण कौशलों को सीखाने की बात की गई है। इस शोध-पत्र में आँकड़ों का संकलन द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। यूनिफ़ाइड डिस्ट्रिक्ट इंफ़ॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) से प्राप्त आँकड़ों (2021–22) पर भारतीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया गया है, जो शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं। इसी के आधार पर शिक्षक अपनी कक्षा में नवीन अधिगम सामग्रियों का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ा सकता है। सकल नामांकन अनुपात, जोकि प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक है वह अनुपात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर भी बना रहे, के लिए शिक्षक व विद्यालय प्रयासरत रहें। इसके परिणामस्वरूप अपव्यय व अवरोधन जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़ेगा। इसी के साथ ही समाज भी इन वर्गों के प्रति संवेदनशील हो सकेगा और सभी वर्गों का समान रूप से उत्थान होगा।

पिछली शिक्षा नीतियों का मुख्य उद्देश्य 'शिक्षा तक पहुँच' पर सर्वाधिक रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं 1986 एवं 92 का प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक व सुलभ बनाना, माध्यमिक स्तर की शिक्षा में नामांकन की बढोत्तरी करना,उच्च स्तरीय शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना तथा तकनीकी, प्रबंधकीय व कानूनी शिक्षा आदि को विस्तारित करना रहा है।

34 वर्षों के पश्चात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया है। जिसमें प्राचीन तथा सनातन ज्ञान, परंपरा तथा सांस्कृतिक दर्शन व मूल्यों को संवर्धित करते हुए सभी के लिए समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों को समाहित किया गया है। इस शोध-पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य

**शोधार्थी*, लखनऊ विश्वविद्यालय, बाबूगंज, हसनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226007
***शोधार्थी*, लखनऊ विश्वविद्यालय, बाबूगंज, हसनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226007

में सभी के लिए अधिगम व समावेशी शिक्षा के संबंध में चर्चा की गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 'सभी के लिए शिक्षा' (पूर्व नाम 'प्रौढ़ शिक्षा') की अनुशंसाओं को क्रियान्वित करने हेतु 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' में विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री का निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे जीवन कौशल जो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हैं, पर केंद्रित है। 'नव भारत साक्षरता कार्यक्रम' के निर्देशों को 'उल्लास' के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2022–2027 की अवधि में एक केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई है, जिसे 'उल्लास' (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) नाम दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं वित्तीय वर्ष 2022–2027 तक के महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया गया है। जिसमें प्रमुख मुद्दा 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के उन सभी नागरिकों को शामिल करना है, जो विद्यालयी शिक्षा को किसी कारणवश प्राप्त करने में असफल रहे हैं। संसाधनों की पहुँच को वयस्क या प्रौढ़ शिक्षा के दायरे तक बढ़ाने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

उल्लास का उद्देश्य

उल्लास का मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग समूह को न केवल साक्षर करना व उनका संख्या ज्ञान बढ़ाना है, बल्कि ऐसे आधारभूत घटकों को शामिल करना है, जिनसे नागरिकों के कौशल विकास में वृद्धि हो, जैसे—

- महत्वपूर्ण जीवन कौशल (वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य देखभाल, वाणिज्यिक कौशल, बच्चों की देखभाल, परिवार कल्याण व जागरूकता आदि सहित)।
- व्यावसायिक कौशल विकास (रोज़गार प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना)।
- बुनियादी शिक्षा (प्रारंभिक, मध्य व माध्यमिक शिक्षा)।
- सतत शिक्षा (कला, विज्ञान, तकनीक, खेल, मनोरंजन तथा संस्कृति आदि)।

उपरोक्त घटकों के साथ समग्र वयस्क शिक्षा में उनके पाठ्यक्रमों, रूचि व आवश्यकता के अनुसार सभी विषयों से संबंधित कौशलों को भी शामिल करता है। जिसके माध्यम से इन जीवन कौशलों का समावेश करते हुए उनके जीवनयापन के संसाधनों को अधिक समृद्ध व विकसित किया जा सके।

तकनीकी सुविधाएँ

उल्लास योजना के तहत तकनीकी माध्यम से शिक्षार्थियों या लाभार्थियों के प्रशिक्षण, कार्यशाला, उन्मुखीकरण व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कक्षाएँ आयोजित की जाएँगी। इसमें लाभार्थियों को अपना पंजीकरण करना होगा। पंजीकृत सेवार्थियों को डिजिटलीकृत रूप में, जैसे— टी.वी., रेडियो, मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध ओपन सोर्स ऐप्प या पोर्टल के माध्यम से संसाधन व सामग्री आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को सम्मिलित किया जाएगा।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022–2027 के लिए आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान का यह लक्ष्य भी है कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ से 5 करोड़ तक लाभार्थियों को सम्मिलित करना है। योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIS), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के सहयोग से ऑनलाइन शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन प्रणाली (OTLAS) का उपयोग कर प्रत्येक शिक्षार्थी को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के लिए उन्हें अपना नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर (वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, आदि आवश्यक जानकारियों के साथ पंजीकरण करना होगा। इस योजना हेतु वित्तीय लागतों के लिए 1037.90 करोड़ रूपए हैं। वित्तीय लागतों में केंद्र सरकार द्वारा 700 करोड़ रूपए और राज्य सरकार द्वारा 337.90 करोड़ रूपए वहन किए जाएँगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

भारत में विभिन्न धर्म, जाति, सामाजिक व आर्थिक स्तर पर विविधता व असमानता दृष्टिगत होती है। इस पक्ष को ध्यान में रखकर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के अध्याय 6 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में समानता और समावेश के सिद्धांतों को अपनाया गया है। इन सिद्धांतों के माध्यम से सभी के लिए विद्यालयी शिक्षा की पहुँच व सभी शिक्षार्थियों को आजीवन सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा सामाजिक समानता और न्याय प्राप्त किया जा सकता है, इसका सर्वाधिक प्रभाव समावेशी शिक्षा के विकास पर पड़ेगा। इस नीति के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें सामान्य कक्षा में विभिन्न बाधाओं एवं अभावों का सामना करना पड़ता है, उनकी आवश्यकताओं व सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत इन बच्चों के लिए विशेष प्रावधानों के साथ न्यायसंगत व समावेशी शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है।

नीति के तहत दिव्यांग विद्यार्थी व सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को प्राथमिकता दी गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (RPwD 2016) के अनुसार जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं, उन्हें भी इस नीति में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण-अधिगम वातावरण के साथ उनकी क्षमता व योग्यताओं के आधार पर सीखने की विभिन्न शैलियाँ प्रदान की गई हैं। इससे वह अपनी दिव्यांगता पर ध्यान न देकर सबके साथ घुल मिलकर एक सामान्य जीवन का अनुभव करें तथा सामान्य विद्यार्थी भी उनके साथ जुड़कर सहयोग करते हुए उन सभी का स्वागत कर सकें। यह नीति विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर दिव्यांग के समावेश व समान भागीदारी की सिफारिश करती है। इसके साथ ही, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समावेशन के लिए संपूर्ण विद्यालयी दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जैसे— इन विद्यार्थियों के विद्यालयी परिसर में समावेशन के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों में विशेष क्षमता व कौशलों का निर्माण, विशेष शिक्षण-अधिगम सामग्री, खेल व व्यावसायिक

शिक्षा के साथ-साथ पाठ्यचर्या कार्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ आदि उपलब्ध करवाने की सिफारिश करती है, ताकि इसका लाभ सभी शिक्षार्थियों तक पहुँच सके तथा वे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। UDISE+ 2023–024 से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, लगभग 2114110 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक हुआ है।

समग्र शिक्षा

भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की यह योजना पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य है कि विद्यालयी शिक्षा की पहुँच को सार्वभौमिक बनाया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं को लागू करने में सभी केंद्र प्रशासित प्रदेश व राज्यों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। इसके साथ ही इसमें विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा की मुख्यधारा में लाना है। इस नीति के अंतर्गत बच्चों के लिए जो प्रावधान उल्लेखित किए गए हैं उनके प्रति वह बच्चे जागरूक हों, जैसे— दिव्यांगता की पहचान के लिए ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन शिविर, उन्मुखीकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के लिए सहायता, चिकित्सीय सेवाएँ, खेल आयोजन और विशेष शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि। इसके अतिरिक्त, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए एस्कॉर्ट्स, परिवहन और स्क्राइब, उपकरण, शिक्षण सहायक सामग्री और विद्यार्थीवृत्ति के माध्यम से विशिष्ट सहायता भी प्रदान की जाती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यक्तिगत शिक्षण समर्थन के लिए उपकरण और शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) के साथ ब्लॉक संसाधन केंद्रों को मजबूत करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विद्यालयों में हैंडरेल युक्त रैंप और शौचालयों के निर्माण के प्रावधान को भी सम्मिलित किया गया हैं।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी इन दिव्यांग विद्यार्थी हेतु समावेशी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपक्रम व पहल की गयी है। रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा विद्यार्थियों के सीखने के लिए आवश्यक डिजिटल मंच प्रदान किए गए हैं, जैसे— ई-पाठशाला पोर्टल और मोबाइल ऐप्प प्लेटफ़ॉर्म यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए रा.शै.अ.प्र.प. की पाठ्य-पुस्तकें और ई-सामग्री प्रदान करते हैं। इसके साथ पाठ्यपुस्तकें ऑडियो रूप में भी उपलब्ध करवाई गई हैं और पूरक पठन सामग्री भी विकसित की गई है। प्रारंभिक विद्यालयी शिक्षा के दौरान बच्चों में पढ़ने के कौशल को विकसित करने के लिए, '*बरखा शृंखला— सभी के लिए एक पठन शृंखला*' चालीस कहानियों से युक्त पूरक वर्गीकृत पठन सामग्री भी रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त, सुलभता के पहलुओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए कॉमिक बुक '*प्रिया— द एक्सेसिबिलिटी वॉरियर*' बनाई गई है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है— 'हर किसी को सुलभता की आवश्यकता है, सुलभता हर किसी की मदद करती है।' कॉमिक बुक भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) में व्याख्यात्मक वीडियो के साथ उपलब्ध है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी

संस्थान (सी.आई.ई.टी.), रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा तैयार की गईं 935 से अधिक पाठ्यपुस्तकें एवं वीडियो दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ॉर नॉलेज़ शेयरिंग DIKSHA) पोर्टल पर 10,500 शब्दों के भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के साथ उपलब्ध हैं। (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2024)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016, सी.आई.ई.टी. एवं रा.शै.अ.प्र.प. ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 'प्रशस्त' ऐप (प्री एससमेटं हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल एप्लीकेशन) बनाया है, जिसके द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर प्रारंभिक जाँच की सुविधा दी गयी है। जिससे उनकी दिव्यांगता का प्रमाणन होगा। वर्तमान में, 4.81 लाख से अधिक उपयोगकर्त्ता मोबाइल ऐप पर पंजीकृत हैं। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की योग्यताओं और क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन का समर्थन करने के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन) ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखन की सुविधा, प्रतिपूरक समय, लचीले विषय विकल्प, वैकल्पिक प्रश्न या प्रश्न पत्र आदि जैसी छूट या रियायतें प्रदान करके परीक्षा प्रणाली में सुधार किए हैं। समावेशी शिक्षा पर शिक्षकों के लिए कई पुस्तिकाएँ उपलब्ध हैं। इसके लिए पीएम ई-विद्या डिजिटल शिक्षा पहल के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (दिव्यांग विद्यार्थी) के लिए ई-सामग्री विकसित करने के दिशा-निर्देश और समावेशी कक्षाओं के लिए शिक्षक-शिक्षण हस्तक्षेपों पर 600 से अधिक विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। यह ई-सामग्री दिव्यांग बच्चों को सीखने के अवसरों की पहुँच और शिक्षार्थी की पूरी क्षमता को प्राप्त करने में सहायता करती है। इसके लिए एक लचीली शिक्षा प्रणाली तैयार करना अनिवार्य है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं को पूरा करती हो। (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, 2024)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं समावेशी शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 में समावेशी शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी को भेदभाव रहित शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। सतत विकास लक्ष्य 2030 (Sustainable Development Goal 2030) के लक्ष्य 4 में वैश्विक स्तर पर ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने का लक्ष्य है, जिसमें सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना तथा जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में *दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 (आर.पी.डब्ल्यू.डी.)* के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जो विद्यालयी शिक्षा के संबंध में इसकी सिफारिशों का समर्थन करती है। इसमें समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में माना जाता है, जिसमें दिव्यांग और सामान्य विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं। सतत विकास लक्ष्य 4 द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि 2030 तक गुणवत्तापूर्ण तथा सभी व्यक्तियों के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जाए। अत: तालिका 1 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) के विद्यार्थियों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1 – सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एस.ई.डी.जी.) से संबंधित विद्यार्थियों का वर्गीकरण

लिंग	महिला तथा ट्रांसजेंडर
सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान	अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग
भौगोलिक	गाँवों, छोटे शहरों, पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के विद्यार्थी
दिव्यांगताएँ	लोकोमोटर दिव्यांगता, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, हीमोफीलिया, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मानसिक बीमारी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, बौद्धिक दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एसिड अटैक पीड़ित, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार, पार्किंसंस रोग, अंधापन, कम दृष्टि, सिकल सेल रोग, बहरापन, सुनने में कठिनाई, भाषण और भाषा दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता, थैलेसीमिया, मल्टीपल स्केलेरोसिस और मल्टीपल दिव्यांगता और बहरा-अंधत्व (आर.पी.डब्ल्यू.डी. 2016)
सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ	प्रवासी समुदाय, तस्करी के शिकार या पीड़ितों के बच्चे, कम आय वाले परिवार, कमज़ोर सामाजिक परिस्थिति वाले बच्चे, शहरी क्षेत्रों में बाल भिखारियों सहित अनाथ और शहरी गरीब

स्रोत – https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/NGIFEIE_dosel.pdf पृष्ठ संख्या-9

तालिका 2 से प्राप्त आँकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.63 प्रतिशत है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय 14.23 प्रतिशत (17.22 करोड़) है एवं तृतीय स्थान पर अनुसूचित जनजातियाँ 8.63 प्रतिशत है। इसके साथ ही ईसाई, सिख, बौद्ध व जैन का प्रतिशत बहुत कम है। उपर्युक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि हमें इन वर्गों के उत्थान के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम भारतीय विद्यालयों में समावेशी शिक्षा पर सर्वाधिक बल देने के साथ-साथ धरातलीय स्तर पर उसकी उपलब्धता की जाँच कर सकें, क्योंकि कई महत्वपूर्ण योजनाएँ सरकार द्वारा बनायी तो जाती हैं, परंतु योजनाओं का वास्तविक लाभ वंचित समूहों तक नहीं पहुँच पाता है।

तालिका 2 – जनगणना 2011 के अनुसार, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की जनसंख्या का विवरण

अनुसूचित जातियाँ	16.63%
अनुसूचित जनजातियाँ	8.63%
मुस्लिम	14.23% (17.22 करोड़)
ईसाई	2.30% (2.78 करोड़)
सिख	1.72% (2.08 करोड़)
बौद्ध	0.70% (84.43 लाख)
जैन	0.37% (44.51 लाख)

**2011 की जनगणना में पारसी का आँकड़ा उपलब्ध नहीं है।
स्रोत– https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/NGIFEIE_dosel.pdf 2.1, पृष्ठ संख्या-14

नेशनल गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन एक्वेटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन 2.1, पृष्ठ संख्या 14 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (नेशनल सेंपल सर्वे ऑर्गेनाइज़ेशन) रिपोर्ट संख्या 563 (2011–12) के अनुसार, भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी 44 प्रतिशत है। जनगणना 2011 के अनुसार

दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिशत— ग्रामीण क्षेत्रों में 2.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 2.0 प्रतिशत के साथ कुल 2.2 प्रतिशत था, जिसमें 2.4 प्रतिशत पुरुष तथा 1.9 प्रतिशत महिलाएँ थीं। भारत में विद्यालयों एवं विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा अन्य जानकारी को तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3 — UDISE+ के आँकडों (2021–22) के आधार पर भारतीय विद्यालयों की वर्तमान स्थिति

भारत में विद्यालय	14.89 लाख
पूर्व प्राथमिक से उच्च माध्यमिक	26.52 करोड़ बच्चे
प्राथमिक से उच्च माध्यमिक	25.57 करोड़ बच्चे
पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक	22.67 लाख बच्चे
दिव्यांग विद्यार्थी (एस.डब्ल्यू.डी.)	22.40 लाख
दिव्यांगों के लिए कार्यात्मक शौचालय	25.7%
रेलिंग के साथ रैंप	49.72% (विद्यालयों में)
अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी	44.9%
अल्पसंख्यक विद्यार्थी	17.8%
मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यार्थी	14.3%
प्राथमिक ग्रेड के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)	103.39%
उच्च प्राथमिक के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)	94.67%
माध्यमिक के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)	79.56%
उच्च माध्यमिक के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)	57.56%
प्राथमिक ग्रेड में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का जीईआर	113.10%
उच्च प्राथमिक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का जीईआर	103.79%
माध्यमिक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का जीईआर	84.91%
उच्च माध्यमिक में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का जीईआर	61.49%
प्राथमिक ग्रेड में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का जीईआर	106.50%
उच्च प्राथमिक में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का जीईआर	97.95%
माध्यमिक में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का जीईआर	78.06%
उच्च माध्यमिक में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का जीईआर	52.02%
प्राथमिक स्तर पर (Student with Disabilities) SwD का नामांकन	11.31 लाख
उच्च प्राथमिक स्तर पर SwD का नामांकन	7.10 लाख
माध्यमिक स्तर पर SwD का नामांकन	2.88 लाख
उच्चतर माध्यमिक स्तर पर SwD का नामांकन	0.49 लाख

स्रोत— https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/NGIFEIE_dosel.pdf 2.1, पृष्ठ संख्या 16

तालिका 3 में दिए गए आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत में लगभग 14.89 लाख विद्यालय हैं जिनमें ओबीसी विद्यार्थी 44.9 प्रतिशत, अल्पसंख्यक विद्यार्थी 17.8 प्रतिशत व मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यार्थी 14.3 प्रतिशत हैं। इन्हीं आँकडों से यह भी ज्ञात होता है कि प्राथमिक ग्रेड का सकल नामांकन अनुपात सर्वाधिक है जोकि 103.39 प्रतिशत है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर तक आते-आते यह अनुपात घटकर मात्र 57.56 प्रतिशत ही रह गया। इसके साथ ही, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक ग्रेड पर 113.10 प्रतिशत है, जबकि उच्च माध्यमिक स्तर में यह अनुपात घटकर 61.49 प्रतिशत ही रह गया है। अनुसूचित जनजातियों में भी विद्यार्थियों का सर्वाधिक नामांकन प्राथमिक स्तर पर ही है तथा उच्च माध्यमिक स्तर तक आते-आते यह भी कम होकर 52.02 प्रतिशत मात्र ही रह गया। इसी तरह दिव्यांग विद्यार्थियों में भी नामांकन प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक 11.31 लाख है। यह भी उच्च माध्यमिक में घटकर 0.49 लाख रह गया। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि—

- सकल नामांकन अनुपात धीरे-धीरे कम हो रहा है अर्थात नामांकित विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात कक्षा 5 के बाद और विशेष रूप से कक्षा 8 और 10 के बाद पढ़ाई छोड़ देता है।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का जीईआर धीरे-धीरे कम हो रहा है।
- अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) से संबंधित विद्यार्थियों का जीईआर धीरे-धीरे कम हो रहा है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों का नामांकन कम होना अधिक गंभीर है।
- उच्च शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है।

अतः तालिका 3 के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यालयी शिक्षा में सुधार तथा नवाचार की आवश्यकता है। यह आँकड़े विद्यालयी शिक्षा के धरातलीय स्तर को दर्शाते हैं।

प्रावधान

विद्यालयी शिक्षा में सुधार लाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए जो निम्नलिखित हैं—

- राज्यों को महिला तथा ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता, छात्रवृत्ति आदि का प्रबंध करने के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए।
- दूरदराज के व्यक्तियों के लिए डिजिटल अर्थात ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध किया जाए।
- लड़कियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो।
- गरीब मेधावी विद्यार्थियों को विद्यार्थीवृत्ति, शुल्क राहत आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
- अभिभावकों को बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- समय पर उचित रूप से मूल्यांकन कार्य को पूर्ण किया जाए।
- विद्यालयों में परामर्शदाता की व्यवस्था की जाए।
- शिक्षकों को समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए।

- पाठ्यक्रमों को सभी बच्चों के अनुरूप तैयार किया जाए।
- आकांक्षी जिलों, स्पेशल एजुकेशनल ज़ोन और अन्य वंचित क्षेत्रों में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण करना, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने में सहायता मिले।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और अधिक सक्षम बनाना, गुणवत्तापूर्ण बनाना तथा विद्यालयों में लड़कियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
- विज्ञान, गणित, भाषा और सामाजिक अध्ययन विषयों के शिक्षण में वैकल्पिक विद्यालयों के शिक्षकों की क्षमता का निर्माण किया जाए, जिसमें नई शैक्षणिक प्रथाओं के प्रति उन्मुखीकरण भी हो सकें।
- परंपराओं या वैकल्पिक शैक्षणिक शैलियों को संरक्षित करने के लिए विद्यालयों के वैकल्पिक रूपों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा में विद्यालय, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेज़ी, राज्य भाषाएँ या अन्य प्रासंगिक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं में सुधार किया जाए, पर्याप्त सुलभ पठन सामग्री तथा अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने और भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को पढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित और उपलब्ध कराए जाएँ।
- विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रशासकों, परामर्शदाताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों सहित सभी हितधारकों को समावेशन और समानता की धारणा के साथ सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं व सभी के सम्मान, गरिमा और गोपनीयता के प्रति संवेदनशील बनाना।
- दिव्यांग बच्चों और सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह से संबंधित बच्चों की शिक्षा में सुधार करने के लिए कुशल संसाधन तथा प्रभावी प्रशासन और परिसरों में संसाधनों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
- सभी विद्यालय दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आवास और सहायता तंत्र प्रदान करने और कक्षा में उनकी पूर्ण भागीदारी और समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत रहें और उनका समर्थन करें।

निष्कर्ष

शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। कोई व्यक्ति अपने इस अधिकार से वंचित न रहे इसके लिए सरकार सदैव प्रयासरत रहती है। वह समय-समय पर नई नीतियाँ व योजनाएँ इत्यादि प्रारंभ करती है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा की पहुँच संभव हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है। सभी के लिए शिक्षा तभी संभव है जब समावेशी शिक्षा को

बढ़ावा दिया जाए। इस क्षेत्र में सरकार बहुत प्रयास कर रही है परंतु अभी यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है। इसमें समय-समय पर कई चुनौतियाँ उजागर होती रहती हैं। इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए सरकार सदैव सक्रिय है। सरकार के साथ-साथ यह सभी शिक्षकों तथा नागरिकों का कर्त्तव्य है कि सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर रहे। देश का विकास शिक्षा पर निर्भर करता है। अत: देश का नागरिक जब शिक्षित होगा, तभी वह अपने देश को बौद्धिक तथा वित्तीय दोनों रूपों में विकसित कर सकेगा। अतः समावेशी शिक्षा को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सभी के लिए अधिगम अर्थात सीखना संभव हो सके।

शैक्षिक निहितार्थ

इस अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हो सकते हैं—

अध्यापकों के लिए

इस शोध-पत्र के द्वारा शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सभी विधि या प्रविधि के चयन के लिए मार्गदर्शन मिलेगा कि वह नवीन विधि या प्रविधि का प्रयोग कक्षा में करें और उसका लाभ वहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को समान रूप में प्राप्त हो सके। वह तकनीकी व डिजिटलीकृत शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने में सक्षम होंगे। जिसके उपयोग से सामान्य व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि हो सके।

विद्यार्थियों के लिए

इस शोध-पत्र के माध्यम से वंचित समूह वर्ग के विद्यार्थी, सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रावधानों व शिक्षा प्रणाली में हुए सुधारों से अवगत हो सकेंगे। इससे विशेष आवश्यकता वाले वर्ग समूहों के विद्यार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों में प्रगति होगी। इसके साथ ही रा.शै.अ.प्र.प. ने वंचित वर्ग के लिए डिजिटलीकृत सामग्री प्रदान कर अधिगम हेतु नवीन अवसर प्रदान किया है, ताकि वह अपनी रूचि, क्षमता व योग्यतानुसार अधिगम कर प्रवीणता हासिल कर सकें।

नीति निर्माताओं के लिए

इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम यह बताते हैं कि कक्षा में बिना भेदभाव किए सभी को अधिगम हेतु समान अवसर मिले। विद्यार्थिंयों के लिए स्वयं सीखने, करके सीखने, अपनी क्षमता, योग्यता, रूचि तथा अपनी वैयक्तिगत विभिन्नता को जानते हुए, कक्षागत वातावरण में नवीन शिक्षण-अधिगम सामग्री का प्रयोग कर, वह अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में वृद्धि कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इन परिणामों के अलोक में भावी नीति निर्माताओं द्वारा उपयुक्त पाठ्यचर्या का निर्माण व विकास किया जाए तथा वह पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय वंचित वर्गों की आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके लिए उपयुक्त पाठ्यसामग्री क्रियाओं का भी समावेश भी अवश्य करें।

अन्य शोधार्थियों के लिए

इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम भावी शोधार्थियों को अभिप्रेरित करेंगे कि वह इस क्षेत्र में भी शोध कार्यों को बढ़ावा दें। इसके साथ ही वह भी इस क्षेत्र में रूचि लें तथा संबंधित समस्याओं से भी समाज को अवगत कराए ताकि समाज व सरकार भी इनकी आवश्यकता को संज्ञान में ले सकें।

संदर्भ

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार education.gov.in/sites/upload_files/nep_update/NEP_final_HI_O.pdf. से 9 अप्रैल 2024 को प्राप्त किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग. 2021. *डिसेबिलिटी राइट्स (राइट्स ऑफ़ पर्सस विद डिसेबिलिटीज एक्ट एंड नेशनल ट्रस्ट एक्ट) एंड मेंटल हेल्थकेयर एक्ट*. https://nhrc.nic.in/sites/default/files/DisabilityRights.pdf 18 अप्रैल 2024 को प्राप्त किया गया।

वर्किंग-कमेटी ऑफ़ एक्सपर्ट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन ऑफ़ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स (डी.ई.जी.एस.एन.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.). *नेशनल गाइडलाइन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑन एकुइतब्ल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन*. नई दिल्ली https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/guidelines/NGIFEIE_dosel.pdf. 12 मई 2024 को प्राप्त किया गया।

शिक्षा मंत्रालय. 2023. *उल्लास*. https://www.india.gov.in/spotlight/ullas-understanding-lifelong-learning-all-society#:~:text=Government%20of%20India%20has%20approved,and%20Budget%20Announcements%20FY%202021. 14 अप्रैल 2024 को प्राप्त किया गया।

सिंह, सुनील कुमार. 2022. *सामान्य ज्ञान,* 15वाँ संस्करण. लुसेंट पब्लिकेशन, बिहार.

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग. 2024. *सबके लिए शिक्षा — समान और समावेशी शिक्षा*. https://dsel.education.gov.in/inclusive-education. 20 जून 2024 को प्राप्त किया गया।